ENERGY FOR EVER

ONCE IREDA ALWAYS IREDA
(A Navratna CPSE)

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल ,कोर 4 'ए'ईस्ट कोर्ट ,भारत पर्यावास केंद्र,लोधी रोड नई दिल्ली -110003 भारत
सीआईएन L65100DL1987GOI027265,Website:www.ireda.in
Email:equityinvestor2023@ireda.in
Phone+91-11-24682206-19,Fax No:+19-11-24682202

पोस्टल बैलेट की सूचना

(कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं 110 के अंतर्गत तथा कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित)

प्रिय सदस्यों,

यह सूचित किया जाता है कि कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 110 को धारा 108 एवं अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के साथ, समय-समय पर संशोधित **("अधिनियम")** तथा कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22 **("नियम"),** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, समय-समय पर संशोधित **("सेबी लिस्टिंग विनियम"),** भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 (सामान्य बैठकों पर) **("एसएस-2"),** तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय **("एमसीए")** द्वारा सामान्य बैठकों के आयोजन/डाक मतपत्र प्रक्रिया को ई-वोटिंग के माध्यम से संचालित करने हेतु जारी दिशा-निर्देश/परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020; 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020; 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020; 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020; 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021; 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021; 03/2022 दिनांक 05 मई, 2022; 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022; 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023; 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र") तथा अन्य लागू कानूनों और विनियमों (जिसमें वर्तमान में प्रभावी किसी भी वैधानिक संशोधन, स्पष्टीकरण, प्रतिस्थापन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुरूप, नीचे उल्लिखित विशेष प्रस्ताव **("विशेष प्रस्ताव") भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु डाक मतपत्र के माध्यम से, केवल दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान ("**रिमोट ई-वोटिंग**") प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

एमसीए ने अपने परिपत्रों के माध्यम से कंपनियों को यह सलाह दी है कि वे ऐसे सभी तात्कालिक विषय जिनके लिए सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है (साधारण कार्यों या ऐसे कार्यों को छोड़कर जिनमें किसी व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार हो), अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार डाक मतपत्र/ई-वोटिंग की व्यवस्था के माध्यम से, बिना सामान्य बैठक आयोजित किए, निपटाएँ, जिसमें सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक न हो। तदनुसार, इस डाक मतपत्र सूचना ("सूचना") की भौतिक प्रति, डाक मतपत्र प्रपत्र तथा पूर्व-भुगतान व्यापार प्रत्युत्तर लिफाफा इस डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को नहीं भेजा जा रहा है, जैसा कि एमसीए परिपत्रों में छूट प्रदान की गई है।

सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 44 तथा अधिनियम की धारा 108 एवं 110 को एमसीए परिपत्रों और एसएस-2 के साथ पठित करने के अनुपालन में, कंपनी अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे डाक मतपत्र प्रपत्र को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत दे सकें। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **("आरटीए")** की सेवाएँ ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, यह सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम **शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 ("कट-ऑफ तिथि")** को डिपॉजिटरी से प्राप्त सदस्यों की रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों की रजिस्टर में दर्ज हैं तथा जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/डिपॉजिटरी/कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट **("आरटीए")** के पास कट-ऑफ तिथि तक

पंजीकृत है । जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल जानकारी हेतु माने। संयुक्त धारकों के मामले में, केवल वही संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर है, मतदान का पात्र होगा । जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना मत देना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इस सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 'नोट्स' अनुभाग में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना समर्थन **("पक्ष में")** या विरोध **("विपक्ष में")** दर्ज करें।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

वोटिंग शुरू*	**वोटिंग समाप्त**
शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 सुबह 09:00 बजे (आईएसटी)	**शनिवार, 14 मार्च , 2026 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी)**

***(दोनों दिन)**

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in पर भी उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 102, 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, विशेष प्रस्ताव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं उसके कारणों/औचित्य का विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है, जो आपके विचारार्थ प्रस्तुत है और इस सूचना का अभिन्न अंग है।

नियमों के नियम 22(5) के अनुसार, निदेशक मंडल ने डाक मतपत्र रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने हेतु मैसर्स पी.सी.जैन एवं को., कंपनी सचिव (श्री पी.सी. जैन, प्रबंध भागीदार, एफसीएस -4103, सीओपी सं.-3349) को स्क्रूटिनाइज़र **("स्क्रूटिनाइज़र**") नियुक्त किया है। उन्होंने अपनी नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की है और उक्त उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहेंगे।

स्क्रूटिनाइज़र डाक मतपत्र हेतु रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए कुल मतों की जांच पूर्ण होने के पश्चात अपनी रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे। डाक मतपत्र के मतदान परिणाम ई-वोटिंग की समाप्ति से 2 कार्य दिवस के भीतर घोषित किए जाएंगे। डाले गए मतों की वैधता पर स्क्रूटिनाइज़र का निर्णय अंतिम होगा। घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट सहित, अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषणा के तुरंत पश्चात कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

<u>विशेष कार्य:</u>

इक्विटी शेयरों के निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधनों सहित या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

"संकल्प लिया जाता है कि कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 23, 42, 62 तथा अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें उनके अंतर्गत बनाए गए नियम, जैसे कंपनियाँ (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 तथा कंपनियाँ (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014, तथा समय-समय पर प्रभावी किसी भी संशोधन, वैधानिक परिवर्तन या पुनः अधिनियमन (सामूहिक रूप से "कंपनियाँ अधिनियम"), कंपनी के ज्ञापन एवं उपनियम (सामूहिक रूप से "ज्ञापन और उपनियम"), सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 **("सेबी आईसीडीआर विनियम**"), सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("**सेबी लिस्टिंग विनियम**"), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 ("**फेमा**") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, जिसमें

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी समेकित एफडीआई नीति शामिल है, तथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सामूहिक रूप से "स्टॉक एक्सचेंज") के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते, जहाँ कंपनी के ₹10 (केवल दस रुपये) अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर ("**इक्विटी शेयर**") सूचीबद्ध हैं, और भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ("**एमएनआरई** "), कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("**एमसीए**"), निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ("**डीआईपीएएम** "), भारतीय रिज़र्व बैंक ("**आरबीआई**"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("**सेबी**"), स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली ("**आरओसी**") तथा अन्य किसी भी सरकारी/ नियामक/वैधानिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी लागू अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों या स्पष्टीकरणों के अधीन, तथा आवश्यक अनुमोदन/अनुमतियाँ/ सहमति/स्वीकृतियों के अधीन, और उन पर लगाए गए शर्तों एवं संशोधनों के अधीन, कंपनी के सदस्यों/शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है कि कंपनी अधिकतम ₹2,994 करोड़ (केवल दो हजार नौ सौ चौरानवे करोड़ रुपये) या उसके समतुल्य राशि (जिसमें निर्धारित प्रीमियम शामिल हो सकता है) तक की राशि के लिए, लागू कानूनों के अनुसार, एक या अधिक किश्तों में, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट **("क्यूआईपी")** के माध्यम से, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप, ऐसे निवेशकों को (जिनमें सेबी आईसीडीआर विनियमों में परिभाषित योग्य संस्थागत खरीदार "**क्यूआईबी**" शामिल हैं), चाहे वे कंपनी के सदस्य हों या नहीं, संयुक्त या पृथक रूप से, प्रारंभिक प्लेसमेंट दस्तावेज़ एवं प्लेसमेंट दस्तावेज़ के माध्यम से, प्रचलित बाज़ार मूल्य पर या बाज़ार मूल्य से प्रीमियम या छूट पर, तथा ऐसी शर्तों एवं नियमों के साथ, जैसा कि निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बाज़ार परिस्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तथा कंपनी द्वारा नियुक्त बुक रनिंग लीड मैनेजर/प्लेसमेंट एजेंट के परामर्श से उपयुक्त समझे, इक्विटी शेयरों का सृजन, निर्गम, प्रस्ताव एवं आवंटन कर सके।"

"उपर्युक्त 'निर्गम' से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि:

1. प्रस्तावित रूप से जारी, प्रस्तावित एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से चुकता तथा डीमैट रूप में होंगे और कंपनी के ज्ञापन एवं उपनियम, कंपनियाँ अधिनियम, सेबी आईसीडीआर विनियम तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन होंगे;
2. कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर, आवंटन की तिथि से, लाभांश एवं मतदान अधिकार सहित सभी दृष्टियों से कंपनी के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समान अधिकार रखेंगे तथा सभी लागू कानूनों एवं कंपनी के ज्ञापन एवं उपनियम के प्रावधानों के अधीन होंगे;
3. निर्गम के अंतर्गत जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के कारण भारत के राष्ट्रपति, जो एमएनआरई के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, की कंपनी में हिस्सेदारी निर्गम के पश्चात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 3.76% से अधिक कम नहीं होगी;
4. कुल इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 10% म्यूचुअल फंड्स को आवंटित किया जाएगा, और यदि म्यूचुअल फंड्स उक्त न्यूनतम प्रतिशत या उसके किसी भाग का सदस्यता नहीं लेते हैं, तो वह न्यूनतम भाग सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार अन्य योग्य संस्थागत खरीदारों को आवंटित किया जा सकता है; तथा
5. किसी एक आवंटी को क्यूआईपी के कुल आकार के 50% से अधिक आवंटन नहीं किया जाएगा और न्यूनतम आवंटियों की संख्या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि एक ही समूह से संबंधित या समान नियंत्रण के अधीन क्यूआईबी को एक ही आवंटी माना जाएगा।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार, इक्विटी शेयरों का आवंटन केवल सेबी आईसीडीआर विनियमों में परिभाषित क्यूआईबी को ही किया जाएगा तथा यह आवंटन शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की तिथि से 365 दिनों की अवधि के भीतर या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत समय-समय पर अनुमत अन्य अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा। कंपनी, एक या अधिक विशेष प्रस्तावों के अंतर्गत किए गए पूर्व क्यूआईपी की तिथि से दो सप्ताह की अवधि या सेबी आईसीडीआर विनियमों में निर्धारित अन्य अवधि की समाप्ति तक, कोई अन्य क्यूआईपी नहीं करेगी।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि लागू कानूनों के अधीन, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार, इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से 'प्रासंगिक तिथि' वह तिथि होगी जिस दिन निदेशक मंडल की बैठक में निर्गम खोलने का निर्णय लिया जाएगा।

"आगे यह भी निर्णय लिया जाता है कि आवंटियों द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री आवंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं की जाएगी, या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत समय-समय पर अनुमत अन्य अवधि के अनुसार ही की जाएगी; तथा किसी एक आवंटी को निर्गम के कुल आकार के पचास प्रतिशत से अधिक आवंटन नहीं किया जाएगा और न्यूनतम आवंटियों की संख्या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत क्यूआईपी के माध्यम से जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का निर्गम मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जो अध्याय VI में निर्दिष्ट मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार निर्धारित किया गया है (" **क्यूआईपी फ्लोर प्राइस"**)। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से तथा बुक रनिंग लीड मैनेजर्स से परामर्श के पश्चात, क्यूआईपी फ्लोर प्राइस पर अधिकतम 5% या लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमत अन्य प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर सकता है।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि क्यूआईपी के लिए निर्धारित मूल्य, आवश्यकता होने पर, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त समायोजन के अधीन होगा।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को यह अधिकार एवं शक्ति होगी कि वह निर्गम, आवंटन एवं सूचीबद्धता के लिए स्वीकृति प्रदान करते समय सेबी/स्टॉक एक्सचेंज/एमएनआरई/आरबीआई अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक या आरोपित किसी भी संशोधन को स्वीकार कर सके, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी भी प्रस्ताव, निर्गम या आवंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड को कंपनी की ओर से ऐसे किसी या सभी इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज(ओं) पर सूचीबद्ध कराने हेतु आवेदन करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस निर्गम और/या इक्विटी शेयरों के आवंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड को कंपनी की ओर से ऐसे सभी कार्य, कृत्य या विषय करने हेतु अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक या उपयुक्त समझे, जिनमें बिना किसी सीमा के, इक्विटी शेयरों के निर्गम की शर्तें एवं नियम निर्धारित करना शामिल है, जैसे कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रस्तावित इक्विटी शेयरों की संख्या और उनका अनुपात, निर्गम मूल्य तथा लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमत छूट, यदि कोई हो तो प्रीमियम राशि, निर्गम का समय, तथा ऐसी शर्तों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संशोधन या परिवर्तन करना; बैंक खाते खोलना और संचालित करना; प्रबंधन, विपणन, सूचीबद्धता एवं ट्रेडिंग हेतु व्यवस्थाएँ करना; बुक रनिंग लीड मैनेजर, विधिक सलाहकार, एस्क्रो एजेंट आदि के साथ समझौते करना एवं निष्पादित करना; आवश्यक या उपयुक्त अन्य अनुबंधों को निष्पादित करना, जिनमें उनके संशोधन या परिशिष्ट शामिल हों; प्रारंभिक प्लेसमेंट दस्तावेज़ एवं प्लेसमेंट दस्तावेज़ सहित किसी भी दस्तावेज़ को अंतिम रूप देना, अनुमोदित करना और जारी करना; ऐसे दस्तावेज़ (प्रारूप या अंतिम रूप में) किसी भी भारतीय नियामक प्राधिकरण या स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष दाखिल करना; सभी विलेख, दस्तावेज़ और लेखों पर हस्ताक्षर करना; संबंधित शुल्क, कमीशन, पारिश्रमिक और व्यय का भुगतान करना; तथा कंपनी की ओर से निर्गम, प्रस्ताव या आवंटन से संबंधित उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों का निपटारा करना और इस संबंध में सभी आवश्यक एवं सहायक कदम उठाना, जिसमें निर्गम से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित कार्य भी शामिल हैं, और इसके लिए सदस्यों की आगे किसी सहमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृति प्रदान की गई मानी जाएगी। बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्तावों में संदर्भित या परिकल्पित किसी भी विषय के संबंध में की गई सभी कार्रवाइयाँ सर्वथा अनुमोदित, अनुसमर्थित और पुष्टि की जाती हैं।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु सभी आवश्यक कार्य, कृत्य एवं कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के किसी भी निदेशक या कंपनी सचिव को पृथक रूप से स्टॉक एक्सचेंजों को उपर्युक्त प्रस्तावों की सूचना देने तथा कंपनी की ओर से आवश्यक वैधानिक और/या नियामक दाखिले करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

"आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्तावों में उल्लिखित या परिकल्पित किसी भी विषय के संबंध में की गई सभी कार्रवाइयाँ सभी दृष्टियों से अनुमोदित, अनुसमर्थित एवं पुष्टि की जाती हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के लिए

हस्ता./-
एकता मदान
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 12 फरवरी, 2026

नोट :

1. कंपनियाँ अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") की धारा 102 को धारा 110 तथा कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("**नियम**") के नियम 22, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एस एस-2") तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("**सेबी लिस्टिंग विनियम"),** प्रत्येक समय-समय पर संशोधित, के साथ पठित करते हुए विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण देने वाला स्पष्टीकरणात्मक वक्तव्य इस सूचना के साथ संलग्न है और इसका अभिन्न अंग है।

2. एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, यह डाक मतपत्र सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग संबंधी निर्देश **केवल** इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजे जा रहे हैं जिनके नाम **शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026** (कट-ऑफ तिथि) को डिपॉजिटरी से प्राप्त सदस्यों/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं तथा जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि एमसीए परिपत्रों के अंतर्गत प्रदान की गई छूट के अनुसार इस डाक मतपत्र हेतु सूचना की भौतिक प्रति, डाक मतपत्र प्रपत्र तथा पूर्व-भुगतान प्रत्युत्तर लिफाफा नहीं भेजा जाएगा।

3. केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के पात्र होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल जानकारी हेतु माने।

   तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कट-ऑफ तिथि पर कंपनी के सभी सदस्य (उन सदस्यों सहित जिन्हें कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास ई-मेल पंजीकृत न होने के कारण यह सूचना प्राप्त नहीं हुई हो) इस सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी होंगे।

4. अधिनियम की धारा 108 एवं 110 तथा नियम 20 और 22, सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 44, एसएस - 2 तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अपने सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("**ई-वोटिंग**") प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश इस डाक मतपत्र सूचना का हिस्सा हैं।

5. कंपनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने हेतु एमयू एफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("**आरटीए")** की सेवाएँ ली हैं (**जिसे आगे "रिमोट ई-वोटिंग" कहा गया है**)।

6. यह डाक मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) तथा एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होगी।

7. कोई सदस्य डाक मतपत्र में प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान नहीं कर सकता । तथापि, संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों/हिंदू अविभाजित परिवार/गैर-निवासी व्यक्तियों आदि के अतिरिक्त) अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं । संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अधिनियम की धारा 113 के अंतर्गत अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन प्रति (pdf/jpg प्रारूप में) रिमोट ई-वोटिंग हेतु कंपनी के आरटीए को enotices@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल द्वारा भेजें।

8. ई-वोटिंग अवधि **शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और शनिवार, 14 मार्च, 2026 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी।

   इस अवधि के दौरान, जो सदस्य **शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026** (कट-ऑफ तिथि) को डीमैट रूप में शेयर धारित करते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात आरटीए द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान कर देने के पश्चात, वह अपना मत परिवर्तित नहीं कर सकेगा और पुनः मतदान नहीं कर सकेगा।

9. सदस्य/लाभकारी स्वामी के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे।

10. स्क्रूटिनाइज़र, डाक मतपत्र हेतु रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए कुल मतों की जांच पूर्ण होने के पश्चात अपनी रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे। डाक मतपत्र ई-वोटिंग की समाप्ति से 2 कार्य दिवस के भीतर परिणाम घोषित किए जाएंगे। डाले गए मतों की वैधता पर स्क्रूटिनाइज़र का निर्णय अंतिम होगा।

11. घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट सहित, अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषणा के तुरंत पश्चात कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

12. सदस्य डाक मतपत्र सूचना के विशेष कार्य से संबंधित अपने प्रश्न equityinvestor2023@ireda.in पर अपने पंजीकृत ई-मेल पते से भेज सकते हैं, जिसमें अपना नाम, डीपी आईडी –ग्राहक आईडी, मोबाइल नंबर तथा पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें।

13. यदि प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे रिमोट ई-वोटिंग की अंतिम तिथि अर्थात **शनिवार, 14 मार्च, 2026** को पारित माना जाएगा। डाक मतपत्र के माध्यम से सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव को ऐसे माना जाएगा जैसे वह सदस्यों की सामान्य बैठक में पारित किया गया हो।

14. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, पता (पिन कोड सहित), ई-मेल, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण एवं नामांकन संबंधी जानकारी अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अद्यतन करें, जिनके पास उनका डीमैट खाता है।

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 102 एवं 110 के अनुसरण में)

कंपनी अपनी वर्तमान परिचालन गतिविधियों में विकास के अवसरों की अपेक्षा कर रही है और विभिन्न संभावित मार्गों का निरंतर मूल्यांकन कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कंपनी को ऐसे विकास को प्राप्त करने के लिए पूंजी की आवश्यकता बनी हुई है। तदनुसार, कंपनी भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने, अग्रिम ऋण संवितरण तथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए, जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमत हो और कंपनी के निदेशक मंडल ("**बोर्ड**") द्वारा अनुमोदित किया जाए, अपनी पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने का प्रस्ताव रखती है। कार्यान्वयन एवं प्राप्त राशि के उपयोग की समय-सारिणी का अनुमोदन संबंधित समय पर बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

निर्गम के उद्देश्यों हेतु निर्दिष्ट राशि में भविष्य की परिस्थितियों के आधार पर +/- 10% तक का अंतर हो सकता है, जैसा कि एनएसई परिपत्र सं. एनएसई/सीएमएल /2022/56 दिनांक 13 दिसंबर, 2022 तथा बीएसई नोटिस सं. 20221213-47 दिनांक 13 दिसंबर, 2022 में प्रावधान किया गया है, क्योंकि उद्देश्य प्रबंधन के आकलनों तथा अन्य वाणिज्यिक एवं तकनीकी कारकों पर आधारित हैं । अतः यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे वित्तीय, बाज़ार एवं क्षेत्रीय परिस्थितियाँ, व्यवसाय का प्रदर्शन एवं रणनीति, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य बाहरी कारक, जो कंपनी के नियंत्रण में न भी हों, और जिनके कारण शुद्ध प्राप्ति के प्रस्तावित उपयोग में बोर्ड के विवेकाधिकार से, लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, संशोधन किया जा सकता है।

तदनुसार, कंपनी के शेयरधारकों **("शेयरधारक") ** की स्वीकृति इस उद्देश्य से प्राप्त की जा रही है कि बोर्ड कंपनी के इक्विटी शेयरों **("इक्विटी शेयर**") के निर्गम के माध्यम से, ऐसे निवेशकों को जो इस प्रकार के निर्गम में निवेश करने के पात्र हों, जिनमें सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 ("**सेबी आईसीडीआर विनियम**") में परिभाषित योग्य संस्थागत खरीदार (" **क्यूआईबी"**) शामिल हैं, लागू कानूनों के अधीन, चाहे वे कंपनी के सदस्य हों या नहीं, संयुक्त या पृथक रूप से, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट ("**क्यूआईपी** ") के माध्यम से, एक या अधिक किश्तों में, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार, अधिकतम ₹2,994 करोड़ (केवल दो हजार नौ सौ चौरानवे करोड़ रुपये) की समेकित राशि तक निधि जुटा सके; बशर्ते कि यह निर्गम भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, की कंपनी में हिस्सेदारी को निर्गम के पश्चात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 3.76% से अधिक कम न करे; तथा ऐसी शर्तों एवं नियमों पर, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उपयुक्त समझे।

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(ग) के अनुसार, यदि कंपनी के शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर अधिकृत किया गया हो, तो इक्विटी शेयर उन व्यक्तियों को जारी किए जा सकते हैं जो कंपनी के वर्तमान शेयरधारक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 42 तथा कंपनियाँ (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014, कंपनियाँ (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 (प्रत्येक समय-समय पर संशोधित) तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 172 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों की पूर्व स्वीकृति विशेष प्रस्ताव द्वारा प्राप्त करने के पश्चात ही प्रतिभूतियों का निर्गम कर सकती है। अतः कंपनियाँ अधिनियम, 2013 एवं अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार विशेष प्रस्ताव पारित करने हेतु शेयरधारकों की सहमति प्राप्त की जा रही है।

प्रस्ताव के अंतर्गत कंपनी द्वारा प्रस्तावित, जारी एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर कंपनी के ज्ञापन एवं उपनियम के प्रावधानों के अधीन होंगे, तथा क्यूआईपी के अंतर्गत सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आवंटित किए जाने वाले सभी इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से कंपनी के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समान अधिकार रखेंगे। इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमों, कंपनियाँ अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू कानूनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

इक्विटी शेयरों के क्यूआईपी के माध्यम से निर्गम के संबंध में: (क) इक्विटी शेयरों का आवंटन कंपनी के शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की तिथि से 365 दिनों के भीतर या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत अनुमत अन्य अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा;(ख) क्यूआईपी के माध्यम से जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों

का निर्गम मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 176(1) के अनुसार निर्धारित मूल्य (" **क्यूआईपी फ्लोर प्राइस")** तथा लागू कानूनों के अनुरूप निर्धारित मूल्य से कम नहीं होगा। तथापि, बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, कंपनी द्वारा नियुक्त बुक रनिंग लीड मैनेजर से परामर्श के पश्चात, क्यूआईपी फ्लोर प्राइस पर अधिकतम पाँच प्रतिशत या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत अनुमत अन्य छूट तक की छूट प्रदान कर सकता है; तथा (ग) जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से "प्रासंगिक तिथि" वह तिथि होगी जिस दिन बोर्ड, अधिनियम तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात, क्यूआईपी खोलने का निर्णय करेगा।

संबंधित इक्विटी शेयर आवंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक, उन स्टॉक एक्सचेंजों के अतिरिक्त जहाँ उन्हें सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है, अन्यत्र बेचे नहीं जा सकेंगे, या जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत समय-समय पर अनुमत हो।

इसके अतिरिक्त, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार कंपनी के प्रवर्तक **("प्रवर्तक**") या प्रवर्तक से संबंधित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आवंटन नहीं किया जाएगा।

यह सक्षम विशेष प्रस्ताव बोर्ड को उपर्युक्त प्रस्ताव में परिकल्पित अनुसार इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अधिकृत करने के लिए है। कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 में, एक या अधिक किश्तों में, अधिकतम ₹2,994 करोड़ (केवल दो हजार नौ सौ चौरानवे करोड़ रुपये) की समेकित राशि तक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयरों के निर्गम को अनुमोदित किया है।

प्रस्तावित इक्विटी शेयर निर्गम के संबंध में, कंपनी को विभिन्न दस्तावेज तैयार करने एवं विभिन्न समझौतों का निष्पादन करने की आवश्यकता होगी। कंपनी ने अभी तक निवेशक(ओं) की पहचान नहीं की है तथा उन्हें जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या भी निर्धारित नहीं की है। अतः प्रस्तावित आवंटियों का विवरण, निर्गम के पश्चात उनकी संभावित शेयरधारिता का प्रतिशत, कंपनी की निर्गम पश्चात शेयरधारिता संरचना तथा अन्य विवरण इस समय उपलब्ध नहीं हैं और इन्हें लागू विनियमों के अंतर्गत उचित समय एवं माध्यम से प्रकट किया जाएगा। तदनुसार, बोर्ड को निवेशक(ओं) की पहचान करने, आवश्यक संख्या में इक्विटी शेयर जारी करने, आवश्यक दस्तावेजों एवं समझौतों पर वार्ता, अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने तथा इस संबंध में कंपनी की ओर से सभी आवश्यक कार्य, कृत्य एवं कदम उठाने हेतु अधिकृत करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संकल्प एक सक्षम संकल्प है और इक्विटी शेयरों के निर्गम का सटीक मूल्य, अनुपात एवं समय, तथा निर्गम की विस्तृत शर्तें एवं नियम, बोर्ड द्वारा अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, प्रचलित बाजार परिस्थितियों, लागू विधिक प्रावधानों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तथा आवश्यकतानुसार सलाहकारों, बुक रनिंग लीड मैनेजरों एवं अन्य मध्यस्थों से परामर्श के पश्चात निर्धारित किए जाएंगे। निर्गम के अंतर्गत इक्विटी शेयरों का आवंटन सेबी आईसीडीआर विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

आवश्यक प्रकटीकरण बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को, सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, किए गए हैं एवं किए जाते रहेंगे।

यह विशेष प्रस्ताव, यदि पारित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे निवेशकों को, जो कंपनी के वर्तमान सदस्य हों या न हों, इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन करने का अधिकार प्रदान करेगा।

शेयरधारकों की स्वीकृति इस उद्देश्य से प्राप्त की जा रही है कि बोर्ड, इस सूचना में उल्लिखित विशेष प्रस्ताव में वर्णित सीमा एवं तरीके से, इक्विटी शेयरों के निर्गम पर निर्णय ले सके, और इसके लिए कंपनी के शेयरधारकों से पुनः किसी नई स्वीकृति की आवश्यकता न हो।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी इस प्रस्तावित संकल्प में, कंपनी में उनकी शेयरधारिता (यदि कोई हो) की सीमा तक या किसी ऐसे वित्तीय संस्थान/कंपनी/कॉर्पोरेट निकाय द्वारा सदस्यता की सीमा तक, जिसमें कोई निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनका संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितधारक हो, उसके अतिरिक्त, वित्तीय या अन्य किसी प्रकार से संबंधित या हितग्राही नहीं हैं।

तदनुसार, निदेशक मंडल इस सूचना में उल्लिखित विशेष प्रस्ताव को शेयरधारकों की स्वीकृति हेतु अनुशंसित करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली **एकता मदान**
दिनांक: 12 फरवरी, 2026 **कंपनी सचिव**

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग निर्देश

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और शनिवार, 14 मार्च 2026 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि ("कट-ऑफ तिथि"), यानी शुक्रवार, 06 फरवरी 2026 को सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के पात्र हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार उनकी कट-ऑफ तिथि (06 फरवरी 2026) के अनुसार कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डिमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए लॉगिन विधि

क. एनएसडीएल के माध्यम से डिमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

विधि 1 - एनएसडीएल आईडीएएस सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

जो शेयरधारक एनएसडीएल आईडीएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं:

क) यूआरएल पर जाएँ: https://eservices.nsdl.com और "आईडीएएस **लॉगिन खंड**" के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें।
ख) आईडीएएस यूजर आईडी, पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और "लॉगिन " पर क्लिक करें।
ग) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप Value added services सेक्शन में ई वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई वोटिंग" पर क्लिक करें।
घ) "एमयूएफजी इनटाइम" या कंपनी के नाम के पास दिखाई देने वाले ई वोटिंग लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

या

जो शेयरधारक एनएसडीएल आईडीएएस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं:

क) पंजीकरण के लिए यूआरएल पर जाएँ: https://eservices.nsdl.com और "Register Online for I **आईडीएएस** पोर्टल" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।
ख) 8-अंकीय डीपी आईडी , 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।
ग) अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें / 'ओटीपी ' जनरेट करें।
घ) सफल पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
ङ) ऊपर दिए गए (क -घ) चरणों का पालन करें।

Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.

Google Play App Store

विधि 2 - एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर सीधे जाने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

क) यूरल पर जाएँ: https://www.evoting.nsdl.com
ख) "शेयरधारक /सदस्य" सेक्शन के तहत "लॉगिन" टैब पर क्लिक करें।

ग) यूजर आईडी (आपका 16-अंकीय डिमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिख रहे वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करें और "लॉगिन" पर क्लिक करें।
घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप Value added services में e-Voting सेवाएँ देख पाएँगे। "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।
ङ) "एमयूएफजी इनटाइम" या कंपनी के नाम के पास दिखाई देने वाले e-voting लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

विधि 3 – एनएसडीएल ओटीपी आधारित लॉगिन

क) यूआरएल पर जाएँ:
ख) https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp
ग) 8-अंकीय DP ID, 8-अंकीय क्लाइंट ID, PAN, वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और OTP जनरेट करें।
घ) अपने पंजीकृत ईमेल/मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और लॉगिन करें।
ङ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको NSDL डिपॉजिटरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।
च) "एमयूएफजी इनटाइम" या कंपनी के नाम के पास दिखाई देने वाले e-voting लिंक पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालें।

ख. सीडीएसएल के माध्यम से डिमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

विधि 1 – सीडीएसएल Easi/Easiest सुविधा में पंजीकृत व्यक्तिगत शेयरधारक

जो शेयरधारक CDSL Easi/Easiest सुविधा के लिए पंजीकृत हैं:

क) URL पर जाएँ: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login या www.cdslindia.com
ख) "Login" पर क्लिक करें और "My Easi New (Token)" चुनें।
ग) मौजूदा यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करें और "Login" पर क्लिक करें।
घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता e-Voting विकल्प देख पाएँगे। e-Voting विकल्प में e-Voting सेवा प्रदाता (MUFG InTime) के लिंक होंगे ।
ङ) "MUFG InTime" या कंपनी के नाम के पास दिखाई देने वाले e-voting लिंक पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालें।

या

जो शेयरधारक सीडीएसएल Easi/Easiest सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं:

क) पंजीकरण के लिए यूआरएल पर जाएँ:
ख) https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration
https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiestRegistration
ग) आवश्यक फ़ील्ड अपडेट करें।
घ) पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को पंजीकृत ईमेल आईडी पर यूजरनेम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
ङ) ऊपर दिए गए चरणों (क-ग) का पालन करें।

विधि 2 - सीडीएसएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर सीधे जाने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

क) URL पर जाएँ: https://www.cdslindia.com

ख) e-Voting टैब पर जाएँ।

ग) 16-अंकीय डिमैट अकाउंट नंबर (BO ID) और PAN दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।

घ) सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर OTP भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकरण करेगा।

ङ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता e-Voting विकल्प देख पाएँगे। इसमें e-Voting सेवा प्रदाता (MUFG InTime) के लिंक होंगे।

च) "MUFG InTime" या कंपनी के नाम के पास दिखाई देने वाले e-voting लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए InstaVote वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

व्यक्तिगत शेयरधारक अपने डिमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी NSDL / CDSL में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग कर सकते हैं:

क) DP वेबसाइट पर लॉगिन करें।

ख) सफल लॉगिन के बाद, उपयोगकर्ता "e-Voting" विकल्प पर जाएँ।

ग) e-Voting विकल्प पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता NSDL / CDSL डिपॉजिटरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ ई-वोटिंग फीचर दिखाई देगा।

घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, "MUFG InTime" या कंपनी के नाम के पास दिखाई देने वाले e-voting लिंक पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए InstaVote वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि तक डिमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखते हैं, InstaVote पर निम्नलिखित तरीके से पंजीकरण और वोटिंग कर सकते हैं:

<u>इंस्टावोट सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले शेयरधारक:</u>

क) URL पर जाएँ: https://instavote.linkintime.co.in

ख) 'SHARE HOLDER' टैब के तहत "Sign Up" पर क्लिक करें और निम्न विवरणों के साथ पंजीकरण करें:

क. यूजर आईडी:

एनएसडीएल डिमैट अकाउंट – User ID 8-अंकीय DP ID के बाद 8-अंकीय क्लाइंट ID होता है।

CDSL डिमैट अकाउंट – User ID 16-अंकीय बेनेफिशरी ID होता है।

ख. पैन:

अपना 10-अंकीय पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) दर्ज करें।
(जो शेयरधारक अपने PAN को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP)/कंपनी के साथ अपडेट नहीं किया है, वे आपके पास दिए गए सीक्वेंस नंबर का उपयोग करें, यदि लागू हो।)

ग. डीओबी/ डीओआई :

अपनी जन्म तिथि (DOB) / कंपनी पंजीकरण तिथि (DOI) दर्ज करें (जैसा कि आपके DP / कंपनी में रिकॉर्ड है – DD/MM/YYYY प्रारूप में)।

घ. बैंक खाता संख्या:

अपना बैंक खाता नंबर (अंतिम चार अंक) दर्ज करें, जैसा कि आपके DP / कंपनी में रिकॉर्ड है।

*NSDL फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक, उपरोक्त 'Point D' प्रदान करें।
CDSL फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक, 'Point C' या 'Point D' प्रदान करें।

ग) अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें।
पासवर्ड में न्यूनतम 8 अक्षर होने चाहिए, कम से कम एक विशेष वर्ण (!#$&*), एक अंक, एक अल्फाबेट और एक कैपिटल अक्षर शामिल होना चाहिए।

घ) इमेज वेरिफिकेशन (CAPTCHA) कोड दर्ज करें।

ङ) "Submit" पर क्लिक करें (आप अब InstaVote पर पंजीकृत हैं)।

INSTA VOTE सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक:

क) URL पर जाएँ: https://instavote.linkintime.co.in

ख) 'SHARE HOLDER' टैब के तहत "Login" पर क्लिक करें।

- **User ID:** अपना User ID दर्ज करें
- **Password:** अपना पासवर्ड दर्ज करें
- **इमेज वेरिफिकेशन (CAPTCHA) कोड** दर्ज करें
- "Submit" पर क्लिक करें
  (ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। "Resolutions के लिए वोट डालने के स्टेप्स" में दिए गए निर्देशों का पालन करें)

ग) अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें:

- सफल प्रमाणीकरण और InstaVote इनबॉक्स पेज पर रीडायरेक्शन के बाद, आप "Notification for e-Voting" देख पाएँगे।
- 'View' आइकन चुनें। ई-वोटिंग पेज खुलेगा।
- प्रस्ताव (Resolution) का विवरण देखें और अपनी पसंद के अनुसार 'Favour / Against' विकल्प चुनकर वोट डालें। (यदि आप पूरे प्रस्ताव का विवरण देखना चाहते हैं, तो 'View Resolution' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)
- अपनी पसंद का विकल्प चुनने के बाद, 'Submit' पर क्लिक करें।
- एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'Yes' पर क्लिक करें; यदि वोट बदलना चाहते हैं, तो 'No' पर क्लिक करें और अपने वोट को संशोधित करें।
  एक बार आपने प्रस्ताव पर अपना वोट डाल दिया, तो आप इसे बाद में बदल या संशोधित नहीं कर सकते।

इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर्स ("कस्टोडियन / कॉर्पोरेट बॉडी / म्यूचुअल फंड") के लिए गाइडलाइन्स

स्टेप 1 – कस्टोडियन / कॉरपोरेट बॉडी / म्यूचुअल फंड पंजीकरण

क) URL पर जाएँ: https://instavote.linkintime.co.in

ख) "Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund" के तहत "Sign Up" पर क्लिक करें।

ग) अपनी संस्था का विवरण भरें और फॉर्म सबमिट करें।

घ) एक घोषणा फॉर्म और संगठन ID तैयार किया जाएगा और प्राथमिक संपर्क व्यक्ति के ईमेल पर भेजा जाएगा। (यह फॉर्म अधिकृत साइनरी/डायरेक्टर/कंपनी सेक्रेटरी द्वारा हस्ताक्षरित और स्टैम्प किया जाना चाहिए और insta.vote@linkintime.co.in पर भेजा जाना चाहिए)।

ङ) इसके बाद, लॉगिन क्रेडेंशियल (User ID, Organisation ID, Password) प्राथमिक संपर्क व्यक्ति के ईमेल पर भेजे जाएंगे। (आप अब InstaVote पर पंजीकृत हैं)।

स्टेप 2 – निवेशक मैपिंग (Investor Mapping)

क) URL पर जाएँ: https://instavote.linkintime.co.in और InstaVote लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करें।

ख) मेनू सेक्शन के तहत "Investor Mapping" टैब पर क्लिक करें।

ग) निवेशक को निम्न विवरणों के साथ मैप करें:

- **Investor ID:**
  i. NSDL डिमैट अकाउंट – User ID 8-अंकीय DP ID के बाद 8-अंकीय क्लाइंट ID होता है। (जैसे IN00000012345678)
  ii. CDSL डिमैट अकाउंट – User ID 16-अंकीय बेनेफिशरी ID।
- **Investor का नाम:** अपने DP में अपडेटेड नाम दर्ज करें।
- **Investor PAN:** अपना 10-अंकीय PAN दर्ज करें।
- **Power of Attorney:** बोर्ड रिज़ॉल्यूशन या पावर ऑफ़ अटॉर्नी संलग्न करें।*
  *बोर्ड रिज़ॉल्यूशन/पावर ऑफ़ अटॉर्नी फ़ाइल का नाम – DP ID और Client ID या 16 अंकीय बेनेफिशरी ID। कस्टोडियंस और म्यूचुअल फंड्स को नमूना हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा।

घ) "Submit" बटन पर क्लिक करें। (निवेशक अब कस्टोडियन / कॉरपोरेट बॉडी / म्यूचुअल फंड संस्था के साथ मैप हो गया है। इसे "Report Section" में देखा जा सकता है)।

स्टेप 3 – InstaVote के माध्यम से Resolutions पर वोट डालने के स्टेप्स

कॉरपोरेट शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान निम्न तरीकों में से किसी भी विधि से वोट डाल सकते हैं:

विधि 1 – Votes Entry

क) URL पर जाएँ: https://instavote.linkintime.co.in और InstaVote लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करें।

ख) मेनू सेक्शन में "Votes Entry" टैब पर क्लिक करें।

ग) उस "Event No." को दर्ज करें जिसके लिए आप वोट डालना चाहते हैं। (Event No. होम पेज पर "On-going Events" में दिखेगा)।

घ) अपना 16-अंकीय डिमैट अकाउंट नंबर दर्ज करें।

ङ) प्रस्ताव विवरण देखें और अपनी पसंद के अनुसार 'Favour / Against' चुनकर वोट डालें। (पूरे प्रस्ताव का विवरण देखने के लिए 'View Resolution' लिंक पर क्लिक करें)।

च) अपनी पसंद का विकल्प चुनने के बाद, 'Submit' पर क्लिक करें। पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। वोट पुष्टि करने के लिए 'Yes' या वोट बदलने के लिए 'No' पर क्लिक करें।

या

विधि 2 – Votes Upload

क) URL पर जाएँ: https://instavote.linkintime.co.in और InstaVote लॉगिन से लॉगिन करें।

ख) सफल लॉगिन के बाद, "Notification for e-Voting" दिखाई देगा।

ग) "Company's Name / Event number" के लिए "View" आइकन चुनें।
घ) ई-वोटिंग पेज खुलेगा।
ङ) "Download Sample Vote File" टैब से सैंपल वोट फ़ाइल डाउनलोड करें।
च) सैंपल वोट फ़ाइल में अपनी पसंद 'Favour / Against' चुनकर वोट डालें और "Upload Vote File" विकल्प के तहत अपलोड करें।
छ) 'Submit' पर क्लिक करें। "Data uploaded successfully" संदेश दिखाई देगा।

(एक बार आपने प्रस्ताव पर वोट डाल दिया, तो इसे बाद में बदल या संशोधित नहीं किया जा सकता।)

हेल्पडेस्क

डिमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक (Non-Individual Shareholders):

डिमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक यदि लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वे InstaVote हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल: **enotices@in.mpms.mufg.com** फोन: **022 – 4918 6000**

डिमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (Individual Shareholders): डिमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक किसी भी तकनीकी समस्या के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी (NSDL / CDSL) हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

लॉगिन प्रकार	**हेल्पडेस्क विवरण**
NSDL के साथ व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सदस्य NSDL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं: **evoting@nsdl.co.in**, या कॉल करें **022 – 4886 7000**
CDSL के साथ व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सदस्य CDSL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं **helpdesk.evoting@cdslindia.com**, या टोल फ्री नंबर **1800 22 55 33**

पासवर्ड या यूज़र आईडी भूल जाने पर निर्देश

डिमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक:

यदि USER ID [Login ID] या Password या दोनों भूल गए हैं, तो "Forgot Password" विकल्प का उपयोग करें:

URL: https://instavote.linkintime.co.in

- 'SHARE HOLDER' टैब के तहत "Login" पर क्लिक करें।
- **"Forgot Password?"** पर क्लिक करें।
- User ID दर्ज करें, Mode चुनें और इमेज वेरिफिकेशन कोड (CAPTCHA) दर्ज करें।
- "SUBMIT" पर क्लिक करें।

यदि ईमेल वैध है, तो पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल पर भेज दिया जाएगा। आप अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, इसके लिए Security Question & Answer, PAN, DOB/DOI, बैंक खाता नंबर (अंतिम चार अंक)

आदि की जानकारी प्रदान करनी होगी। पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, एक विशेष वर्ण (!#$&*), एक अंक, एक अल्फाबेट और एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए।

यूजर आईडी :

NSDL डिमैट अकाउंट – 8-अंकीय DP ID + 8-अंकीय Client ID

CDSL डिमैट अकाउंट – 16-अंकीय Beneficiary ID

Custodian / Corporate Body / Mutual Fund यदि USER ID या पासवर्ड भूल गए हैं: URL: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ।

- "Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund" टैब के तहत "Login" पर क्लिक करें।
- "Forgot Password?" पर क्लिक करें।
- User ID, Organisation ID और इमेज वेरिफिकेशन कोड (CAPTCHA) दर्ज करें।
- "SUBMIT" पर क्लिक करें।

यदि ईमेल वैध है, तो पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल पर भेज दिया जाएगा। आप अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, एक विशेष वर्ण (!#$&*), एक अंक, एक अल्फाबेट और एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए।

NSDL/CDSL के साथ डीमैट मोड में सिक्योरिटीज़ रखने वाले इंडिविजुअल शेयरहोल्डर्स पासवर्ड भूल गए हैं

यदि USER ID या Password या दोनों भूल गए हैं, तो संबंधित डिपॉजिटरी/DP वेबसाइट पर उपलब्ध "Forget User ID" और "Forget Password" विकल्प का उपयोग करें। **महत्वपूर्ण सुझाव:**

- अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और इसे सुरक्षित रखें।
- वोटिंग अवधि के दौरान, सदस्य/शेयरधारक किसी भी समय लॉगिन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने किसी विशेष "Event" के लिए प्रस्ताव (Resolution) पर वोट नहीं डाला है।

****